सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर

9/2/2026 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं वादी उपस्थित नहीं है। प्रकरण 2024 से न्यायालय में विचाराधीन है। पत्रावली लगभग 1 1/2 वर्ष से समन तामील में चल रही है। वादी अधिवक्ता को समन पेश करने हेतु पूर्व में पर्याप्त समय व अवसर दिया जा चुका है। CPC 1908 के आदेश 9 नियम 2 के अनुसार जहाँ समनों की तामील, खर्चे देने में वादी या आवेदक के असफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है, वहां वाद खारिज किया जाना है। CPC 1908 के आदेश 9 नियम 5 के अनुसार जहाँ वादी, समन तामील के बिना लौटने के पश्चात् सात दिन तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां वाद खारिज किया जाना है। प्रकरण में अद्यतिनांक तक तामीले पेश नहीं होने से उक्त आधार पर प्रकरण खारिज किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर